न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 80 / 2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. बाबूदास पुत्र रतनदास 2. नारायणदास पुत्र रतनदास 3. सुमटीदेवी पुत्री रतनदास निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. श्रीयादेजी का मन्दिर, जरिए पुजारी निर्मलदास, निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. श्री तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 31.01.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत राजस्व ग्राम व पटवार हल्का भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 26 / 1 रकबा 6.6419 हैक्टेयर अवस्थित है। इसी खसरे में चार बीघा का बेचान श्रीयादेजी का मन्दिर, पुजारी हनुमानदास का खसरा संख्या 26 रकबा 04–00 बीघा आया हुआ है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी सं. 02 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 26 / 1 रकबा 6.6419 हैक्टेयर का ग्राम भूका वगतसिंह में अवस्थित है, जिसमें से चार बीघा का बेचान श्रीयादेजी का मन्दिर, पुजारी हनुमानदास का खसरा संख्या 26 रकबा 04–00 बीघा आया हुआ है। और उक्त खसरे के शेष हिस्से का भी नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 172 दिनांक 06–02–73 को श्रीयादेवी का मन्दिर समस्त जटिया कुम्हार के नाम से स्वीकृत किया गया था तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जो समस्त आराजी पूर्व में अन्य खातेदार के पास थी जिसका नामान्तकरण के साथ विभाजन करवाकर अलग किया गया था जिससे विप्रार्थी संख्या 01 को मूल खसरा संख्या 26 रखा गया था। और मौके पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है और लठा ट्रैस में तरमीम नामान्तकरण के समय खाता अलग करते के वक्त मौके के अनुसार सही की गयी थी और बेचान पत्र के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। कि वर्तमान में खसरे संख्या 26 व 26/1 के राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरो की तरमीम को मौके व बेचान पत्र के अनुसार पूर्व में की गई तरमीम को नहीं रख कर मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में खसरा संख्या 26 को मेगा हाइवे की सड़क पर नक्शे में भूमि को बढ़ाया गया है और उसके पिछे की भुजा को कम किया गया है। जिसको पूर्व में की गयी तरमीम व मौके के अनुसार वापस सही करना आवश्यक है। कि विप्रार्थी संख्या 01 खसरा संख्या 26 के खातेदार के द्वारा उक्त खसरे की नेखमबदी करने के लिये माननीय न्यायालय में राजस्व आवेदन संख्या–98/2018 बअनवान श्रीयादे जी का मन्दिर, जरिये हनुमानदास बनाम नारायणदास वगैराह में पारित आदेश की पालना में तहसीलदार सिणधरी के द्वारा दिनांक 21–06–2019 को तैयार की गयी मौका फर्द से भी अलग रुप में खसरा संख्या 26 की तरमीम हो गयी है। जिसको पूर्व में की गयी तरमीम व मौके के अनुसार वापस सही करना आवश्यक है। कि अब गलत तरमीम की आड़ में विप्रार्थी संख्या 01 खसरा संख्या 26 के खातेदार के द्वारा अपने उक्त खसरे का रकबा 0.6472 हेक्टेयर की चार दिवारी करने की फिराक में है और मौके पर बजरी और सोलिग डाली हुई है और माननीय न्यायालय से अन्य पत्रावली में मौके का स्थगन आदेश होने से उक्त कार्य नही किया जा रहा है, अन्यथा विप्रार्थी जो गलत रूप से प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली भूमि पर गलत तरमीम के आधार पर निर्माण कार्य करने की कोशिश में है। और प्रार्थीगण के तरमीम दुरस्त होने से पहले उक्त गलत तरमीम के आधार पर विप्रार्थ्थी संख्या 01 के द्वारा निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

4. विप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया कि [illegible] पद संख्या 2 का जवाब यह है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व [illegible] में अलग तरमीम की गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की भूमि [illegible] नम्बर 26 रकबा 04 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष आवेदन पेश किया गया जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा बाद सुनवाई नेखमबंदी प्रकरण संख्या 98/2018 में विप्रार्थी संख्या 1 की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया जिसकी पालना में दिनांक 21.06.2019 को मौके पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ईश दोनों पक्षों व मौतबिरान के रूबरू की गई तथा मौके पर नेखम चिन्हित कर पक्के नेखम द संख्या बी से E स्थापित किये तथा मौका फर्द तैयार कर न्यायालय को भेजी गई। तब इस नेखमबंदी के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया तथा न ही नेखमबंदी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील आज दिन तक पेश की गई है जिस कारण उक्त नेखमबंदी आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुका है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम की हुई है। विप्रार्थी को वक्त बेचान के समय मौके पर काबिज किया गया था उसी अनुसार आज मौके पर काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में भी उसी अनुसार तरमीम की हुई है। इस प्रकार मौके की स्थिति व तरमीम की दोनों में पूर्णतया समानता है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि खरीद के समय जिस प्रकार से मौके पर काबिज किया गया था उसी अनुसार मौके पर काबिज है तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम की हुई है। मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड में पूर्णतया सामनता है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा बार बार विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व झूठे प्रकरण संस्थित करवाकर खर्चे से किये जा रहे है तथा विप्रार्थी संख्या 1 धार्मिक संस्थान है। प्रार्थीगण हस्तगत आवेदन से मात्र दो माह पहले ही विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पेश किया गया है जो भी श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है तथा वाद के विचाराधीन रहते ही प्रार्थीगण द्वारा पुनः यह आवेदन पेश किया गया है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकरण के विचाराधीन रहते हुऐ उसकी विषय वस्तु व भूमि को लेकर दूसरा प्रकरण संस्थित नही किया जा सकता है फिर भी प्रार्थीगण बार बार झूठे प्रकरण दर्ज करवाये जा रहे है जिस कारण हस्तगत प्रकरण श्रीमान न्यायालय में पोषणीय ही नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण किसी प्रकार की तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकार है।

5.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेत मौजा भूंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत मूल खसरा संख्या 26 में बेचान के बाद कायम खसरा नम्बर 26/1 व 26 की गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2024 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड [illegible] में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और [illegible] मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की [illegible] गई है। विप्रार्थी वकील द्वारा अपने जवाब के कथनों के समर्थन में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो ,कि मौके पर तत्समय बेचान सही था अथवा नेखमबंदी के जरिये कोई कार्यवाही की गई हो। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
णधरी

अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

[illegible]. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मूंका वगतसिंह पटवार क्षेत्र मूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 26 /1 रकबा 6.6419 बीघा, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested